

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

मैनुअल

{ धारा 4(1)(बी) के अंतर्गत }

संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, ग्वालियर

सूचना का अधिकार मैनुअल

1. कार्य एवं कर्त्तव्य—

कार्यक्षेत्र एवं क्षेत्राधिकार


बसाहटों के नियोजन के प्रति, प्रतिबद्धता के रूप में प्रदेश के नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों नगर तथा ग्राम निवेश नियम 1975, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के अंतर्गत क्षेत्रीय एवं नगरों के नियोजन का कार्य किया जाता है, जिसके तहत नगरीय तथा प्रादेशिक विकास योजनायें बनाना, छोटे तथा मझौले नगरों की एकीकृत विकास योजनाओं का पर्यवेक्षण, नगरीय अधोसंरचना विकास की योजना तैयार करना सम्मिलित है।

उपरोक्त के अलावा विभिन्न विभागों को नियोजन संबंधी विषयों में परामर्श देने तथा समन्वय करने के दायित्व का भी निर्वहन करना है।

प्रमुख कार्यकलाप

1. नगरों के निवेश क्षेत्रों की विकास योजनायें बनाना।
2. गठित निवेश प्रदेशों की प्रादेशिक योजनायें बनाना।
3. छोटे तथा मझौले नगरों के एकीकृत विकास हेतु नियोजन व विकास पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण।
4. नगरीय अधोसंरचना विकास
5. विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में मार्गदर्शन।
6. नगरों के अप्राधिकृत विकास पर नियंत्रण (प्रवर्तन)
7. विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/गृह निर्माण मण्डल एवं अन्य विकास संस्थाओं को परियोजना तैयार करने में मार्गदर्शन।
8. राज्य शासन एवं अन्य संस्थाओं को नये नगरों एवं औद्योगिक विकास केन्द्रों के व्यवस्थापन, भूमि नियोजन, स्थल चयन आदि में मार्गदर्शन एवं सहयोग।
9. राज्य शासन को भूमि विकास एवं प्रबंधन संबंधी नीतियों के निर्धारण में सहयोग

संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम ग्वालियर निवेश की संरचना



2. अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य

कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश के नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के अंतर्गत दायित्व

1	प्रभारी जिला कार्यालय	संयुक्त संचालक	<ol style="list-style-type: none"> 1. जिला कार्यालय प्रमुख के प्रशासनिक एवं वित्तीय दायित्वों का निर्वहन करना। 2. म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 तथा म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 तथा अन्य सुसंगत विधि प्रावधानों के अंतर्गत संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुसंगत कार्यवाही यथा समय सुनिश्चित करना। 3. अधिनियम की धारा 5, 6, 14, 15, 27, 28, 29, 30, 33, 37, 77 तथा 79 की प्रत्यायोजित गयी हैं, शक्तियों का पालन सुनिश्चित करना तथा समयावधि में कार्य पूर्ण करना। 4. प्रत्येक प्रकरण में आवश्यकतानुसार स्थल निरीक्षण कर उसके आधार पर विधिक प्रावधान दर्शाते हुए उसके अनुरूप कार्य संपादित करना। 5. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों का पालन करना तथा उसके नियम 2(5) के अंतर्गत भूमि विकास के प्रकरणों का निपटारा करना। 6. धारा 37 के अंतर्गत अप्राधिकृत विकास के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। 7. अधिनियम की धारा 13(1) के अंतर्गत निवेश क्षेत्र के गठन हेतु प्रस्ताव तैयार करना तथा जिला समिति के अनुमोदन उपरांत निवेश क्षेत्र के गठन के प्रस्ताव संचालनालय को भेजना। 8. अधिनियम की धारा 17(क) के अनुरूप समयावधि में आवश्यक
---	-----------------------	----------------	--

			<p>कार्यवाही पूर्ण करना।</p> <p>9. जिला स्तर पर नियोजन की विकास संबंध प्रकरणों में अभिमत प्रदत्त करना।</p> <p>10. न्यायालयीन प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी की भूमिका का निर्वहन।</p> <p>11. समय-समय पर या सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा सौंपे गये कार्य को पूर्ण कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।</p>
2.	सहायक संचालक	सहायक संचालक	<p>विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रकरणों में अभिमत एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना।</p>